**शाहबुद्दीन साहब मोहिद्दीन साहब अक्की**

**बनाम**

**द गढग- बेटगेरी म्यूनिसिपल बॉरो और अन्य**

**[विविआन बोस, जगन्नाधा दास, और बी.पी. सिन्हा जेजे.]**

बॉम्बे नगर पालिका बाॅरो अधिनियम, 1925(बॉम्बे अधिनियम XVIII 1925), बॉम्बेे अधिनियम LIV 1954 द्वारा संशोधित धारा 19 -कानूनी प्रभाव -चुनाव की वैधता - धारा 35(3)(6) - बैठक की सूचना - धारा 35(3) के प्रावधान -निर्देशित अथवा अनिवार्य -धारा 35(6) - जनता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति - क्या बैठक की वैधता को प्रभावित करती है।

प्रथम प्रत्यर्थी - नगरपालिका - जो कि नगरपालिका बॉरो अधिनियम, 1925 (बॉम्बे अधिनियम XVIII 1925) से संचालित होती है, में 32 पार्षद सम्मिलित है, जिसमें से अपीलार्थी एस एक है। नगरपालिका का पिछला आम चुनाव 7 मई, 1951 को हुआ था। पार्षदों के कार्यकाल की गणना आम चुनाव के पश्चात् 10 जुलाई 1951 को हुयी प्रथम बैठक से तीन साल के लिये की गयी थी। उक्त बैठक में चैथे व पांचवे प्रत्यर्थी को तीन वर्ष की अवधि के लिये क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। 1925 के अधिनियम XVIII को 1954 के बॉम्बे अधिनियम XXXV द्वारा संशोधित किया था, जिसके तहत पार्षदों के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर चार साल कर दिया गया जो कि 9 जुलाई, 1955 को समाप्त होना था। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 का कार्यकाल 10 जुलाई, 1951 से तीन वर्ष की अवधि के अंत में समाप्त होना था और क्योंकि नगरपालिका के कार्यकाल को संशोधित अधिनियम 1954 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया था, इस प्रकार पैदा हुयी रिक्तियों को भरने के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नया चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने 30 जुलाई,

1954 को एक विशेष आम बैठक बुलायी तांकि चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा सके तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता के लिये प्रांत अधिकारी को नामित किया। प्रांत अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देशों के अनुसरण में, बिना कोई कार्यवाही किये उक्त बैठक को 30 जुलाई, 1954 से 3 अगस्त, 1954 तक स्थगित कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा स्थगन के विरूद्ध की गयी आपत्ति को पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। विशेष आम बैठक 3 अगस्त को आयोजित की गयी। अपीलार्थी एस द्वारा की गयी आपत्ति, कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष को तीन वर्ष की अवधि से कम के लिये नहीं चुना जा सकता, को पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इस पर उपस्थित 32 पार्षदों में से एस समेत 13 पार्षदों ने इस आधार पर बर्हिगमन किया कि अध्यक्ष को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, एक वर्ष की अवधि से कम के लिये चुना जाना था, शेष 19 पार्षदों ने दूसरे प्रत्यर्थी को चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये अध्यक्ष चुना। तत्पश्चात् नये चुने हुये अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक और बैठक में प्रत्यर्थी 3 को उपाध्यक्ष चुना गया। एस द्वारा अध्यक्ष के मामले में उठाये गये व्यवस्था के बिंदु को अध्यक्ष के मामले की तरह खारिज कर दिया गया, जिस पर 6 पार्षदों ने बहिर्गमन किया और बैठक को शेष पार्षदों द्वारा आयोजित किया गया। समस्त 32 पार्षद दिनांक 30 जुलाई, 1954 और 3 अगस्त, 1954 को उपस्थित थे। एस द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 3 अगस्त, 1954 को हुयी बैठक की वैधता और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की वैधता पर उठाये गये प्रश्न को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

*माना गया,* (1) 3 अगस्त, 1954 को हुयी बैठक मैं हालांकि प्रत्यक्षतः नहीं परंतु सार मैं कानून के तहत एक वैध विशेष बैठक को आयोजित करने की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था तथा इसी प्रकार बैठक अमान्य नहीं थी क्योंकि

कार्यवाहियों का अभिलेख यह दर्शित करेगा कि 30 जुलाई, 1954 और 30 अगस्त, 1954 को जो भी किया गया वह कलेक्टर के आदेश के अनुसरण में किया गया। अधिनियम की धारा 35(3) के अंतर्गत, पार्षदों को दी जाने वाली सूचना, तीन स्पष्ट दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यह कि धारा 35(3) के प्रावधान सूचना की तामील कराने के संबंध में निर्देशित हैं, अनिवार्य नहीं और सूचना की सेवा की प्रक्रिया में हुयी कोई भी अनियमितता, ऐसी अनियमितता है जो कि कार्यवाहियों को दूषित तब तक नहीं करती है जब तक कि यह दर्शित न किया जाये कि उक्त अनियमितताओं ने कार्यवाहियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जो कि इस मामले में आरोपित या साबित नहीं किया गया है। नगरपालिका का गठन करने वाले समस्त पार्षद दोनों ही अवसर अर्थात 30 जुलाई, 1954 और 3 अगस्त 1954 को उपस्थित थे और इस प्रकार उन्हें 3 अगस्त, 1954 को होने वाली बैठक और उसके समय, स्थान व बैठक में होने वाली कार्यवाही की पर्याप्त सूचना थी। अधिनियम की धारा 35 (3) के प्रावधानों के तहत, जहां तक चुनाव की वैधता का सवाल है, जनता के सदस्यों का बैठक में उपस्थिति व अनुपस्थिति का, पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

(2) चूंकि बॉम्बे बोरो अधिनियम की धारा 19 को बॉम्बे नगर पालिका बॉरो अधिनियम 1954 ने संशोधित कर दिया था और उक्त संशोधन पूर्वव्यापी था, इसका प्रभाव, धारा 19 के प्रावधानों के संबंध मैं, चुनाव की किसी भी अवैधता या अनियमितता को सही करना था और इसीलिये प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को वैध रूप से क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था।

किंग बनाम द जनरल कमिश्नर आफ इनकम टैक्स फार साउथेम्पटन, एक्स पार्टी, डब्ल्यू.एम.सिंगर ([1916] 2 के.बी. 249) और मुखर्जी, आफिशियल रिसीवर बनाम रामरतन क्यूर [1935] एल.आर. 63 आई.ए. 47)

सिविल एपीलेट ज्यूरिडिक्शनः सिविल अपील नंबर 215/1954।

उच्च न्यायालय के बॉम्बे न्यायाधिकरण में विशेष सिविल आवेदन नंबर 1665 आफ 1954, में पारित निर्णय दिनांकित 23 अगस्त, 1954 के विरूद्ध संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विशेष अनुमति के तहत अपील।

आर.बी.कोतवाल जे.बी.दादाचांजी और राजेन्द्र नारायण, अपीलार्थी की ओर से।

नॉनित लाल, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।

1955 फरवरी, 2022 व न्यायालय के निर्णय को इनके द्वारा पारित किया।

सिन्हा जे.----उक्त अपील, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विशेष अनुमति के तहत, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 23 अगस्त 1954, जिसमें अपीलार्थी की अधिकार-प्रच्छा की याचिका तथा अन्य उपर्युक्त याचिका जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के गढक बेडगेरी नगर पालिका बोरू, के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के खिलाफ निर्देशित थी, को खारिज कर दिया गया था, के विरूद्ध लायी गयी।

प्रकरण के तथ्य विवादरहित हैं, जिन्हें संक्षिप्त में इस प्रकार बताया जा सकता है कि: प्रथम प्रत्यर्थी नगर पालिका बा ॅरो एक्ट से संचालित नगर पालिक है, जिसे अब से संक्षिप्तता के लिये अधिनियम से संबोधित किया जायेगा। नगर पालिका का पिछला चुनाव 7 मई 1951 को हुआ था। पार्षदों के कार्यकाल की गणना  आम चुनाव के पश्चात् -इस मामले में 10 जुलाई 1951 को हुयी प्रथम बैठक से तीन वर्ष की अवधि के लिये की गयी थी। उक्त बैठक में चैथे व पांचवे प्रत्यर्थी को तीन वर्ष की अवधि के लिये क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। 1925 के अधिनियम 18 को 1954 के बॉम्बे अधिनियम 35 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत पार्षदों के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर चार साल कर दिया गया था जो कि 9 जुलाई 1955 को समाप्त होना था। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 का कार्यकाल 10 जुलाई 1951 से तीन वर्ष की

अवधि के अंत में समाप्त होना था और नगर पालिका के कार्यकाल को संशोधित अधिनियम 1954 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार पैदा हुयी रिक्तियों को भरने के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नया चुनाव करवाया जाना आवश्यक था। कलेक्टर ने 30 जुलाई 1954 को इसी लिये एक विशेष आम बैठक बुलायी तांकि चतुर्थांश की विशेष अवधि के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा सके तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता के लिये प्रांत अधिकारी को नामित किया। प्रांत अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देशों के अनुसरण में बिना कोई कार्यवाही किये उक्त बैठक को 3 जुलाई 1954 से 3 अगस्त 1954 तक स्थगित कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उक्त स्थगन के विरूद्ध की गयी आपत्ति को पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। विशेष आम बैठक 3 अगस्त 1954 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में अपीलार्थी एस द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष को तीन वर्ष की अवधि से कम के लिये नहीं चुना जा सकता और इसी प्रकार प्रस्तावित चुनाव प्रावधानों के प्रतिकूल होगा। पीठासीन अधिकारी, जो कि वही व्यक्ति था जिसने कि 30 जुलाई 1954 की बैठक को स्थगित किया था, द्वारा उक्त आपत्ति को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद उपस्थित 32 पार्षदों में से 13 पार्षदों ने इस आधार पर बैठक का बहिर्गमन किया कि वह ऐसी बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें अध्यक्ष को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की अवधि से कम के लिये चुना जाना है। अपीलार्थी उन 13 पार्षदों मैं से एक था। जिन्होंने बहिर्गमन किया था। यह भी अंकित किया जा सकता है कि नगर पालिका की पूर्ण क्षमता 32 पार्षद हैं, जिनमें से समस्त पार्षद दोनों दिनांक क्रमशः 30 जुलाई 1954 और 3 अगस्त 1954 को उपस्थित हुये। शेष बचे 19 पार्षदों ने कार्यवाही को जारी रखा तथा दूसरे प्रत्यर्थी को इस प्रस्ताव पर कि वह चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष चुना और उक्त प्रस्ताव को आगे ले जाया गया। अध्यक्ष के चुनाव के

तुरंत बाद, नये चुने हुये अध्यक्ष (दूसरे प्रत्यर्थी) की अध्यक्षता मैं, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये एक और बैठक आयोजित की गयी। अपीलार्थी ने अध्यक्ष के चुनाव के मामले में उठाये गये, व्यवस्था के बिंदु को पुनः उठाया और उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी समेत उपस्थित 6 पार्षदों ने बहिर्गमन किया और शेष बचे पार्षदों ने तीसरे प्रत्यर्थी को उपाध्यक्ष चुना।

अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को, विपक्षी संख्या 1 नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय पर अनधिकार ग्रहण करने, व अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के किसी कर्तव्य का पालन करने तथा किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिये, अधिकार प्रच्छा अथवा कोई भी उपर्युक्त याचिका अथवा आदेश अथवा निर्देश हेतु रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का चुनाव अवैध नहीं था और आवेदन को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के प्रावधानों का उचित रूप से गठन करने पर यह कहना सही नहीं होगा कि पार्षदों के कार्यालय अथवा नये चुने हुये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय का कार्यकाल 9 जुलाई 1955 को समाप्त हो जायेगा; इसका आशय उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शेष नगर पालिका की शेष अवधि के लिये चुना जाना था जो कि केवल चार वर्ष तक निश्चित नहीं थी अपितु उस दिनांक तक की अतिरिक्त अवधि थी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जायेंगे और आम चुनाव के बाद अपना अधिकार संभाल लेंगे; यह कि 30 जुलाई की बैठक का स्थगन पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों से बाधित नहीं था और परिणामस्वरूप 3 अगस्त को हुयी बैठक किसी भी अनियमितता की वजह से नहीं हुयी। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि नगर पालिका का गठन करने वाले समस्त पार्षदों को स्थगित हुयी बैठक की सूचना थी और फिर भी 30 जुलाई 1954 के स्थगन में कोई अनियमितता थी तो उसने स्थगित बैठक और उसमें की गयी कार्यवाही

की अवैधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया।

अपीलार्थी ने इस अदालत में अपील करने की अनुमति के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन किया परंतु उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी ने इसके पश्चात् अपील करने की विशेष अनुमति के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया, जिसे दिनांक 3 सितंबर 1954 को स्वीकार कर लिया गया।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि, 3 अगस्त 1954 को आयोजित उपरोक्तानुसार बैठक इन कारणों से अमान्य थी।

1- कि यह एक स्थगित बैठक नहीं थी जहां तक, 3 अगस्त 1954 को वैध रूप से स्थगित नहीं किया गया।

2- कि उक्त बैठक को कलेक्टर द्वारा नहीं बुलाया गया था और

3- कि धारा 35(3) के अंतर्गत दी जाने वाली लिखित सूचना को नहीं दिया गया और किसी स्थिति में सूचना को कानून में अपेक्षित रूप से तामील या प्रकाशित नहीं करवाया गया।

द्वितीय यह भी आग्रह किया गया कि जब 3 अगस्त की बैठक अमान्य थी, तो उसमें की गयी कार्यवाही अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव समान्य रूप से अमान्य था। तृतीय यह भी आग्रह किया गया। अध्यक्ष का चुनाव अमान्य होने से, चुने हुये अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उस दिन को आयोजित हुयी बैठक भी अमान्य थी और परिणामस्वरूप उपाध्यक्ष का चुनाव भी अवैध था। इसी क्रम में यह तर्क भी दिया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के आधार पर भी, अमान्य है, और अंततः की अपील की अनुमति दिये जाने के पश्चात्, संशोधित एक्ट स्प्ट व 1954 से धारा 19 मैं हुआ संशोधन, उन वर्तमान कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं कर सकता जो कि उस समय लंबित थी, हालांकि संशोधित अधिनियम ने उसे पूर्वव्यापी

बनाने का प्रयास किया था।

प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 जो कि इस न्यायालय मैं उपस्थित हुये हैं, यह आग्रह किया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केवल एक वर्ष से कम की अवधि के लिये चुना जा सकता है क्योंकि धारा 19, धारा 23(1)(ए) के अधीन है। कि मामले की किसी भी दृष्टिकोण में संशोधित अधिनियम 1954 के द्वारा धारा 19 मैं किये गये संशोधन में चुनाव को किसी भी प्रश्न से परे प्रतिपादित किया। चूंकि शर्तों के अनुसार अधिनियम आशय उन समस्त चुनावों को मान्य करना था जो कि 1954 के संशोधित अधिनियम 35 और संशोधित अधिनियम 54 के पारित किये जाने के मध्य करवाये; कि पीठासीन अधिकारी को 30 जुलाई, 1954 की बैठक को स्थगित करने का यद्यपि वैधानिक नहीं पर अंतनिर्हित अधिकार था और किसी भी स्थिति में 3 अगस्त, 1954 को हुयी बैठक को नवीन बैठक को कलेक्टर द्वारा बुलवायी गयी नयी बैठक माना जा सकता है और सूचना की तामील करवाने अथवा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में हुयी कोई भी अनियमितता को अधिनियम की धारा 57 में सुधार दिया था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी व पार्षद नहीं था जिसने 30 जुलाई के बैठक के स्थगन पर आपत्ति की थी और इसके बाद के चरण में इस पर आपत्ति नहीं कर सकता था। अंततः यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को निवेदन किये गये किसी भी रिट या आदेश का अधिकार नहीं था क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुयी थी।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विवाद में पक्षकारों के मध्य मुख्य रूप से दो प्रश्न विवाद में हैं, अर्थात-

1. क्या 3 अगस्त 1954 को हुयी बैठक वैध रूप से आयोजित की गयी; और

2. क्या चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये चुने गये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अवैध रूप से चुना गया था।

3. हमारे समक्ष रखे गये इन दो मुख्य प्रश्नों से संबंधित कई सहायक प्रश्न हैं।

एक अच्छा तर्क हमें संबोधित करते हुए दिया जाकर यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पीठासीन अधिकारी को 30 जुलाई 1954 की बैठक को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में धारा 19ए(2) के परंतुक को भी संदर्भित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि वह प्रावधान इस निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि नगर पालिका की आम बैठक की अध्यक्षता करते वक्त पीठासीन अधिकारी की शक्तियां नगर पालिका के अध्यक्ष के समान हैं। स्थगन से संबंधित धारा 35(11) को उपरोक्त वर्णित परंतुक की हद तक योग्य बनाया गया था, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने के उद्देश्य से आयोजित की गयी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर और अधिकारी बैठक में उपस्थित अधिकांश सदस्यों की इच्छाओं के विरूद्ध ऐसी बैठक को स्थगित करने से इन्कार कर सकते हैं।

यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि पीठासीन अधिकारी को बैठक को स्थगित करने का अंतर्निहित अधिकारी है, गलत रूप से अपनाया गया है। 'द लॉ आफ मीटिंग्स'' बाय हैड, द लॉ आन द प्रैक्टिस आफ मीटिंग्स बाय सैकल टन, एण्ड कंपनी मीटिंग्स बाय टेलबॉट, के कुछ अंशों का भी संदर्भ दिया गया है। यह मानते हुए कि 30 जुलाई 1954 की बैठक को बिना अधिकार के स्थगित किया गया था। 3 अगस्त 1954 की बैठक को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे मत में विवाद के गुण अवगुण पर टिप्पणी किया जाना मामले के उद्देश्य के लिये अनावश्यक है।

यह सामान्य अधिकार है कि वह कलेक्टर ही था जिसने 30 जुलाई 1954 की बैठक को बुलाया था और कलेक्टर के निर्देशों के अधीन ही उक्त बैठक को स्थगित किया था। अधिनियम की धारा 19(1) के तहत नगर पालिका द्वारा निर्धारित अध्यक्ष

और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर धारा 23(1)(ए) के प्रावधान जो कि नवीन गठित नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये बुलाये जाने वाली बैठक की प्रक्रिया से संबंधित हैं, उन्हें अध्यक्ष के चुनाव हेतु बैठक को बुलाने और उक्त बैठक में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया पर भी लागू कर दिया गया।

धारा 19(ए) अनुसार कलेक्टर को इस प्रकार के चुनाव के लिये बैठक बुलानी होती है। ऐसी बैठक का अध्यक्ष कलेक्टर या ऐसा कोई अधिकारी जिसे कलेक्टर द्वारा लिखित आदेश से नियुक्त किया गया है, होगा। कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करते वक्त उसके अध्यक्ष को होती हैं।

30 जुलाई 1954 को कलेक्टर द्वारा अध्यक्ष के चुनाव हेतु एक विशेष आम बैठक बुलायी गयी। बैठक की कार्यवाही में यह अभिलिखित किया कि "धारवाड़ के कलेक्टर के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी बैठक को 3 अगस्त 1954, समय 03:00 पी.एम. तक स्थगित करता है।" उस बैठक मैं समस्त 32 पार्षद उपस्थित थे और निसंदेह ही उनकी उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी, संबंधित कलेक्टर के निर्देशानुसार बैठक को 3 अगस्त 1954 को आयोजित किया जायेगा। जब पूर्व सूचना अनुसार बैठक को 3 अगस्त 1954 को 3 पीएम पर आयोजित किया गया, तो पुनः सभी 32 पार्षद उपस्थित थे। कार्यवाहियां यह दर्शाती हैं कि उसी प्रांत अधिकारी ने अध्यक्षता संभाली जिसे कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया था। पीठासीन अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को कलेक्टर का निम्नलिखित तार संदेह पढ़कर सुनाया और समझाया:

"सरकार ने गडग नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव पहले से तय किये अनुसार 3 अगस्त को करवाये जाने के निर्देश दिये हैं। तद्नुसार चुनाव को बिना किसी चूक के आज ही करवायें।"

इस बैठक में अपीलार्थी ने व्यवस्था के दो बिंदु उठाये हैं -

1. कार्य सूची मैं वर्णित, चतुर्थांश, चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये कराये गये अध्यक्ष का चुनाव अवैध था, और

2. यह कि उक्त बैठक नगर पालिका की एक स्थगित बैठक नहीं थी और अवैध भी थी क्योंकि उक्त बैठक को कलेक्टर के निर्देशानुसार स्थगित किया गया था। जबकि कलेक्टर को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। कार्यवाहियों का विवरण आगे यह दर्शाता है कि पीठासीन अधिकारी ने व्यवस्था के बिंदुओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एक विशेष बैठक थी जिसे कलेक्टर द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये चुनाव के लिये बुलाया गया था, जिसे पूर्व निर्धारित अनुसार ही आयोजित किया जाना था।

पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के पश्चात् अपीलार्थी सहित 13 सदस्यों ने बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से बाहर निकल गये। शेष सदस्यों ने जैसे कि इंगित किया गया है, बैठक की कार्यवाही को जारी रखा और दूसरे प्रत्यर्थी को चतुर्थांश की शेष अवधि हेतु नगरपालिका का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, के प्रस्तानव को विधिवत रूप से बनाने और समर्थन दिये जाने के पश्चात् सर्वसम्मति से पारित किया और बैठक समाप्त की गयी।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि 3 अगस्त, 1954 को अध्यक्ष के चुनाव के लिये कलेक्टर द्वारा बैठक बुलायी गयी थी जिसमें प्रांत अधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अधिकृत किया था और दूसरा प्रत्यर्थी विधिवत रूप से चयनित अध्यक्ष था।

अधिनियम की धारा 35(3) के अंतर्गत ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिये तीन दिवस की स्पष्ट सूचना जो कि बैठक के समय व स्थान जहां वह बैठक होनी है और वहां पर की जाने वाली कार्यवाही को निर्दिष्ट करते हुए पार्षदों को दिया जाना

चाहिए और नगरपालिका के कार्यकाल अथवा कचहरी अथवा अन्य किसी सार्वजनिक भवन पर चिपकाया जायेगा और बड़े पैमाने पर प्रसार करने वाले स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, यदि वह मौजूद हैं, प्रकाशित किया जायेगा।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 35(3) द्वारा अपेक्षित सूचना में, एक लिखित सूचना को निर्दिष्ट तरीके से दिया जाना व प्रकाशित किया जाना चाहिए और 3 अगस्त 1954 को हुयी धारा 35 के उपनियम 3 की शर्तों की पालना में आयोजित होना नहीं कहा जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 19(ए)(1) और (2) की आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कलेक्टर ने उस बैठक को बुलाया हो अथवा पीठासीन अधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो। हमारे मत में इनमें से किसी भी तरह का कोई सार नहीं है। 30 जुलाई 1954 को प्रस्तावित बैठक और 3 अगस्त 1954 की वास्तविक बैठक की कार्यवाही के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जो भी किया गया वह कलेक्टर के आदेश के अधीन किया गया। यह सही है कि 3 अगस्त, 1954 को होने वाली बैठक की सूचना लिखित में नहीं दी गयी बल्कि केवल उन्हीं पार्षदों को सूचित की गयी जो कि 30 जुलाई, 1954 को हुयी बैठक में उपस्थित थे। उक्त सूचना पर्याप्त रूप से तीन दिवस की स्पष्ट सूचना की आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। हालांकि उक्त सूचना लिखित में नहीं थी। उक्त सूचना ने बैठक का समय और उसमें की जाने वाली कार्यवाही निर्दिष्ट किया था। धारा 35(4) के अंतर्गत बैठक का सामान्य स्थान नगरपालिका कार्यालय होता है जब तक कि अन्य न दर्शाया जाये। यह भी सही है कि धारा 35 के उपनियम 3 में दर्शित प्रक्रिया के अनुसार सूचना की तामील नहीं करवायी गयी। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कोई बड़े प्रसार वाला स्थानीय समाचार मौजूद था जिसमें बैठक की सूचना को प्रकाशित करवाया जा सके। प्रश्न यह है कि क्या उक्त लोप, उस सूचना को कानून के तहत अप्रभावित बनाते हैं। यह

तब हो सकता है जब उन प्रावधानों को अनिवार्य माना गया हो। निम्नलिखित प्रावधान (शब्दों का लोप करना मामले के लिये महत्वपूर्ण नहीं है) यह दर्शाते हैं कि धारा 35(3) के प्रावधान निर्देशित हैं, अनिवार्य नहीं और सूचना की तामील करवाये जाने की प्रक्रिया में हुआ कोई भी लोप ऐसी अनियमितता है जो कार्यवाही को तब तक दूषित नहीं करती है जब तक यह नहीं दर्शाया जाये कि उक्त अनियमितताओं ने कार्यवाहियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया  है।

> "नगर पालिका का कोई भी संकल्प....., किसी भी पार्षद या सदस्य को दी गयी सूचना मैं हुयी अनियमितता के आधार पर अमान्य नहीं होगा, यह कि नगरपालिका की कार्यवाहियां.....उक्त अनियमितता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुयी हैं।"

प्रत्यर्थियों के लिये, भाग्यवश नगरपालिका का गठन करने वाले समस्त पार्षद, दोनों ही अवसर, अर्थात 30 जुलाई 1954 और 30 अगस्त 1954, पर उपस्थित थे। इस प्रकार उन्हें 3 अगस्त 1954 को होने वाली बैठक के समय, स्थान व उसमें की जाने वाली कार्यवाही की पर्याप्त सूचना थी। न तो यह कथित किया गया है, न ही साबित किया गया कि सूचना की तामील मैं कोई अनियमितता अथवा आपत्तिशुदा लोप में कार्यवाहियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। परंतु यह तर्क दिया गया कि सूचना को नगर पालिका अथवा स्थानीय कचहरी अथवा किसी सार्वजनिक भवन पर नहीं चिपकाया गया और न ही किसी, यदि कोई था, स्थानीय भाषा वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, हालांकि सभी पार्षद 3 अगस्त 1954 को उपस्थित थे, जनता के सदस्यों में ऐसी कोई सूचना नहीं थी और निर्सगतः वह बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे। इस संबंध में यह इंगित किया गया कि धारा 35 के उपनियम 6 में यह प्रावधानित है कि इस तरह की सभी बैठक जनता के लिये खुली रहेंगी, जब तक कि पीठासीन अधिकारी इसके विपरीत कोई निर्देश न दें। उक्त उपनियम के प्रावधानों से यह

स्पष्ट है कि हालांकि ऐसी बैठक में जनता की उपस्थिति वांछित है, परंतु अनिवार्य नहीं। ऐसी बैठक में जनता के सदस्यों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का, जहां तक चुनाव की वैधता की बात है, पर कोई कानूनी महत्व नहीं है। अतः यह माना जाना चाहिए कि 3 अगस्त, 1954 को हुयी बैठक हालांकि सार में नहीं थी, उसने वैध विशेष सामान्य बैठक को आयोजित करने के लिये निर्धारित कानून की आवश्यकता की पूर्ति की थी और इसीलिये, जैसा कि कहा जा चुका है, यह उपधारणा करते हुए कि पीठासीन अधिकारी का 30 जुलाई 1954 की बैठक को स्थगित करने का आदेश अनाधिकृत था, वह बैठक अमान्य नहीं थी। इस संबंध में यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ऐसी विशेष आम बैठक की अध्यक्षता केवल कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है और यदि कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति उक्त बैठक को आयोजित नहीं करता है, तो उपस्थित पार्षद ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिये, अध्यक्ष को चयनित करने के लिये सक्षम नहीं है। इस प्रकार यदि पीठासीन अधिकारी ने निसंदेह कलेक्टर के निर्देशानुसार 30 जुलाई, 1954 के चुनाव की कार्यवाही को करने से मना कर दिया, तो उपस्थित पार्षद स्वयं की पसंद के अध्यक्ष से, स्वयं ऐसी बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष के चुनाव के उद्देश्य के लिये आयोजित नहीं कर सकते। इस प्रकार सही हो या गलत, यदि 30 जुलाई को बुलायी गयी बैठक आयोजित नहीं की गयी तो दूसरी बैठक को, होने वाली रिक्तियों के उद्देश्य से 25 दिवस के भीतर आयोजित करना था। हस्तगत वाद में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय के वास्तविक कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, दूसरी बैठक को तीन दिवस की आवश्यक वैधानिक सूचना दिये जाने के पश्चात् आयोजित किया जाना था। 3 अगस्त 1954 को आयोजित हुयी बैठक, इसी प्रकार की बैठक थी। निसंदेह सूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया व उसकी तामील करवाये जाने में कुछ अनियमितताएं हैं परंतु कानून की दृष्टि से वह केवल ऐसी अनियमितताएं हैं, जिनका प्रभाव उक्त बैठक में किये गये चुनाव को दूषित नहीं करता

है। इस प्रकार अध्यक्ष का चुनाव यदि अन्यथा अमान्य नहीं है तो इस प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में, उस पर सूचना के प्रकाशन में अथवा तामील करवाने में हुयी अनियमितता, के आधार पर आरोप नहीं लगाये जा सकते। यदि 30 जुलाई को समस्त पार्षद उपस्थित नहीं होते अथवा उन्हें 3 अगस्त 1954 की प्रस्तावित बैठक की सूचना नहीं होती तो अन्य विचार उत्पन्न हो सकते थे परंतु इस मामले में यह स्पष्ट है कि समग्र रूप से, किसी भी व्यक्ति व नगरपालिका को निश्चित रूप से कोई भी हानि कारित नहीं हुयी। परंतु आगे यह भी तर्क दिया गया कि 13 पार्षदों द्वारा किये गये बहिर्गमन ने बैठक को निष्फल कर दिया। हमारे मत में, ऐसा परिणाम पक्षकारों के स्वैच्छिक बहिर्गमन करने के अनुसरण में नहीं है। इस बात का सुझाव तक नहीं दिया गया कि, 13 पार्षदों द्वारा बहिर्गमन किये जाने के बाद, विशेष आम बैठक के लिये कोई कोरम नहीं था।

अगला प्रश्न यह है कि क्या 3 अगस्त, 1954 को धारा 19(1) के प्रभावशील प्रावधानों ने 3 अगस्त 1954 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को अमान्य कर दिया क्योंकि वह चतुर्थांश की शेष अवधि के लिये था? उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि धारा 19(1) के परंतुक ''ऐसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय का कार्यकाल, उत्तराधिकारी के चयनित होने तक बढ़ा हुआ समझा जायेगा और उसी समय समाप्त होगा'' को दृष्टिगत रखते हुए चतुर्थांश की शेष अवधि आवश्यक रूप से 9 जुलाई 1955 को समाप्त नहीं होगी। जो वृतांत हुये उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारे लिये उस निर्णय की यथार्थता पर या अन्यथा किसी और बात पर निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय और इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति की स्वीकृति के पश्चात् बॉम्बे विधानसभा में 1954 का (1) अधिनियम लागू किया जिसे 14 अक्टूबर 1954 को बॉम्बे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधित अधिनियम की धारा 2 और 3 इस प्रकार हैं :-

"**2.** बॉम्बे नगरपालिका बरो अधिनियम 1925 की धारा 19 की उपधारा 1 में,

(1) 'एक वर्ष से कम नहीं' शब्दों के बाद 'या नगर पालिका के कार्यालय के बचे हुये कार्यकाल से कम नहीं' जो भी कम हो, शब्द सम्मिलित किये जायेंगे;

(2) 'तीन वर्ष' शब्द के स्थान पर 'चार वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. (1) इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन उस तारीख से लागू माने जायेंगे जिस दिन बॉम्बे जिला व नगरपालिका बरो (संशोधन) अधिनियम, 1954 लागू हुआ था (इसके बाद इस खंड में 'के रूप में संदर्भित उक्त तिथि') और उक्त तिथि को या उसके बाद और इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुये, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के सभी चुनाव उसी तरह वैध माने जायेंगे जैसे कि यह अधिनियम उक्त तिथि पर लागू था। पर ऐसे किसी भी चुनाव में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर अवैध रूप से निर्वाचित नहंी माना जायेगा कि नगर पालिका के कार्यालय का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम हो। ऐसे चुनाव के समय, वह बॉम्बे नगरपालिका अधिनियम 1925 की धारा 19 के उल्लंघन में एक वर्ष से कम की अवधि के लिये अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले प्रभावित थी।

(2) इस धारा मैं निहित कोई भी बात इस अधिनियम के लागू होने से पहले, किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित फैसले, डिक्री या आदेश को प्रभावित नहीं करेगी, जो कि उपनियम 1 में वर्णित आधार पर इस तरह के चुनाव को अमान्य करती हो।"

यह तर्क नहीं दिया गया है कि 1954 के अधिनियम एल.आईवी द्वारा धारा 19 में

किये गये संशोधन, शर्तों के अनुरूप, वर्तमान में विवादित चुनाव को शामिल नहीं करते हैं, न ही उपरोक्त वर्णित धारा 3 में हुये संशोधन पूर्वव्यापी हैं; परंतु अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया कि यह लंबित कार्यवाहियों को प्रभावित करने की हद तक पूर्वव्यापी नहीं हैं। विचाराधीन संशोधन को, शर्तों के अनुसार, 1954 संशोधित अधिनियम एक्स के लागू होने की दिनांक 11 मई, 1954 से लागू माना जायेगा। धारा 3 में यह भी घोषणा की गयी है कि 11 मई, 1954 को या उसके बाद और संशोधित अधिनियम के लागू होने से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिये हुये सभी चुनाव वैध माने जायेंगे। उक्त धारा में स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषणा की गयी है कि इस प्रकार के चुनाव पर धारा 19 का उल्लंघन करने के आधार, पर सवाल नहीं उठाया जायेगा, जिन पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपत्ति की थी। विधायिका ने स्पष्ट रूप से सभी विवादों से परे यह घोषणा करना उचित समझा कि नगरपालिका की बची हुयी अवधि के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर धारा 19 के प्रावधान, जो कि संशोधन से पूर्व लागू थे, का उल्लंघन करने के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। परंतु अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि नियमानुसार संशोधन को लंबित कार्यवाहियों पर लागू नहीं किया गया और इसीलिये न्यायालय को यह मानना चाहिए कि संशोधन का प्रभाव उन चुनावों को मान्य करना नहीं था जो पहले से ही न्यायालय में चुनौती के अधीन थे। इस तर्क के समर्थन में, हमारे समक्ष किसी भी प्रमाण का हवाला नहीं दिया गया है कि जब तक संशोधित कानून में इस आशय के स्पष्ट शब्द नहीं होंगे कि संशोधन लंबित कार्यवाहियों पर भी लागू होगा, तथा वह उन कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके विपरीत, हमारे समक्ष लॉर्ड रीडिंग द्वारा न्यायिक दृष्टांत *किंग बनाम द जनरल कमिश्नर आफ इनकम टैक्स फॉर साउथेम्पटन, एक्स पार्टी, डब्ल्यू.एम.सिंगर* ([1916] 2 के.बी. 249) में की गयी उक्ति स्पष्ट रूप से मौजूद है कि -

"मैं अपीलार्थी के इस तर्क को नहीं स्वीकार सकता कि तो एक अधिनियम केवल उन्हीं अधिकारों को छीन सकता है जिनके लिये कानूनी कार्यवाही की गयी हो, यदि अधिनियम में इस प्रभाव के लिये स्पष्ट शब्द व्यक्त किये गये हैं। इस प्रस्ताव के लिये कोई अधिकार नहीं है और मैं यह नहीं समझता कि क्यों सिद्धांत के रूप में यह कानून होना चाहिए। परंतु यह आवश्यक है कि कानून को पारित करने से पहले, शुरू की गयी कार्यवाहियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव लागू करने के लिये स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए।" यह कैसा मामला था जिसमें विचाराधीन अधिनियम ने गलत पैरिशों के लिये आयुक्तों द्वारा किये गये आंकलन को मान्य कर दिया था। न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सुसंगत धारा का पूर्वव्यापी प्रभाव, अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुयी निषेधाज्ञा की कार्यवाही पर बढ़ गया था और इसीलिये निषेधाज्ञा के लिये नियम निसी पर छूट प्रदान कर दी गयी थी। प्रत्येक मामले में, संशोधित कानून की भाषा की जांच, यह पता लगाने के लिये कि क्या विधायिका स्पष्ट रूप से लंबित कार्यवाहियों को भी ऐसे कानून से प्रभावित करने का आशय रखती है, होनी चाहिए। हमारे समक्ष अनेक प्रमाण/प्राधिकरण का हवाला दिया गया परंतु केवल मुखर्जी, आफिशियल रिसीवर बनाम रामरतन क्यूर ([1935], एल.आर. 63 आई.ए. 47) के निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है, जो कि मुद्दे पर स्पष्ट है। इस मामले में जब न्यायिक समिति के समक्ष एक अपील लंबित थी, तब संशोधित अधिनियम को, स्पष्ट रूप से यह दिखाते हुए पारित किया गया कि अधिनियम इस संदर्भ मैं पूर्वव्यापी था कि लंबित कार्यवाही के संदर्भ के बिना, यह विशिष्ठ विवरण वाले सभी प्रकरणों पर लागू होता है। उन परिस्थितियों मैं लार्ॅड शिप्स मैं यह दर्शाया कि अपवादी खंड को यदि किसी लंबित कार्यवाहियों के पक्ष में निहित करना है तो कानून के प्रावधान काफी हद तक निरर्थक हो

जायेंगे। उक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले पर पूर्णरूप से इस कारण से लागू होती है, कि यदि किसी अपवादी खंड को, संशोधन की तिथि पर लंबित किन्हीं कार्यवाहियों के पक्ष में निहित करना है, तो यह शब्द ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय के समस्त चुनाव जो कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व तथा कथित दिनांक या उसके पश्चात् आयोजित किये गये, उन्हें मान्य माना जायेगा'' को पूर्णरूप से प्रभावी नहीं किया जा सकता। क्योंकि व्यक्त या निहित शब्दों में ऐसा कोई अपवादी खंड नहीं है, इसलिये यह माना जाना चाहिए कि विधायिका ने संशोधन को स्पष्ट रूप से, समस्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के मामलों पर लागू करने का आशय रखा था, भले ही मामले को न्यायालय तक ले जाया गया हो या नहीं। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि कानून में व्यक्त विधायिका के आशय को पूर्णरूप से प्रभाव दें। ऐसा होने से, यह माना जाना चाहिए कि संशोधित अधिनियम का प्रभाव अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के संदर्भ में विचाराधीन चुनाव में किसी भी अवैधता और अनियमितता को सही करना था।

उपरोक्त वर्णित कारणों से यह माना जाना चाहिए कि 3 अगस्त, 1954 को हुयी बैठक वैध रूप से आयोजित की गयी थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव में कोई अवैधता नहीं है। तद्नुसार, हम, हालांकि समान कारणों से नहीं, उच्च न्यायालय के आदेशों की पुष्टि करते हैं। अपील विफल होकर जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

*याचिका खारिज कर दी गयी।*

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी  प्रतिष्ठा शर्मा (आर जे एस) द्वारा किया गया है।

*अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।*